INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP80517788447359X

10189

Certificate No.	:	IN-UP80517788447359X
Certificate Issued Date	:	07-Aug-2025 05:20 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ RAMPUR/ UP-RMP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0157690227575469X
Purchased by	:	RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY RAMPUR
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PROPERTY SITUATED AT VILLAGE-PAHADI (GATA NO 337) TEHSIL-SADAR,DISTRICT-RAMPUR,
Consideration Price (Rs.)		
First Party	:	LAL SINGH
Second Party	:	RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY RAMPUR
Stamp Duty Paid By	:	RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY RAMPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	6,03,610 (Six Lakh Three Thousand Six Hundred And Ten only)

LOCKED BY

S.R. SADAR RAMPUR

Please write or type below this line

Lal Singh

PF 0006486090

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

—: बैनामा :—

—:रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेखः—

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर		— रु0—80,00,000.00 (प्रति हे0)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)		—रु0—3,20,00,000.00 (प्रति हे0)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	—	रु0—86,08,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	—	रु0—(86,08,000.00 + 14,575.00)
	—	रु0—86,22,575.00
ई—स्टाम्प शुल्क	—	रु0—6,03,610.00
ई—स्टाम्प संख्या	—	
निबन्धन, प्रतिलिपिकरण व अन्य शुल्क	—	रु0—86,290.00

विक्रय—विलेख

भूमि का प्रकार	—	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	—	पहाडी
परगना व तहसील	—	रामपुर।
जनपद	—	रामपुर।

Lal Singh

विक्रेता का विवरण :–

1. श्री लाल सिंह पुत्र श्री उग्रसेन

निवासी	–	ग्राम पहाडी, रामपुर।
आधार कार्ड संख्या	–	XXXX XXXX 5583
पैन कार्ड संख्या	–	CDOPS7937K
मोबाईल संख्या	–	7972637929

क्रेता का विवरण :–

रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7, रामपुर, 244901 (उ0प्र0).

पैन कार्ड संख्या	:–	AAALR0333H
द्वारा	:–	श्री जगदीश पाल सिंह
पदनाम	:–	अवर अभियन्ता
विभाग	:–	रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।
जनपद	:–	रामपुर।
मोबाईल नं0	:–	9013067386
आधार कार्ड संख्या	–	XXXXXXXX 2602

Lal Singh

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र0 सं0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षे0 (हे0 में)	कुल क्षे0 में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षे0	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षे0 में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षे0 (हे0 में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री लाल सिंह	श्री उग्रसेन	337	0.2690	0.2690	पूर्ण भाग	0.2690	—

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.2690हे0 में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.2690हे0 विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति — कोई नहीं।

परिसम्पत्ति — रु0–14,575.00 (एक बोरिंग) सहायक अभियन्ता नलकूप खण्ड से प्राप्त आख्यानुसार।

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दीः–

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	337	खेत धर्मवीर	खेत विलाल खां	चकमार्ग	गूल

Lal Singh

विक्रय मूल्य का भुगतानः—

कुल विक्रय मूल्य रू0— 86,22,575.00(छियासी लाख बाईस हजार पांच सौ पिचहत्तर रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती के उपरान्त विक्रेतागण को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :—

क0 सं0	विकेता का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री लाल सिंह	श्री उग्रसेन	नि0 ग्राम पहाडी रामपुर।	SBI रामपुर।	546963	05/08/25	रू0—85,36,349.00/-(पिच्यासी लाख छत्तीस हजार तीन सौ उनचास रूपये मात्र)

उक्त भूमि चकबन्दी आकार पत्र— 45 में उग्रसेन पुत्र दुर्गा के नाम अंकित है। उग्रसेन की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि वरासतन लाल सिंह पुत्र उग्रसेन के नाम दर्ज हुयी। विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि ना तो किसी को हस्तांतरित की गयी है और ना ही किसी बैंक या सरकारी कार्यालय अथवा किसी व्यक्ति को बन्धक की गयी है। विक्रीत भूमि हर प्रकार से रेहन व वय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, दीवानी या राजस्व वाद आदि से मुक्त है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है और ना ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें गाटा संख्या—337 रकबा—0.2690 हे0 सम्पूर्ण भाग विक्रीत की जाती है। अब जरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिली खारिजी सहित पूरे होशो हवास स्वस्थ चित से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव नाजायज किसी शख्स के मय सम्पूर्ण अधिकार सहित मुवलिग रू0— 86,22,575.00(छियासी लाख बाईस हजार पांच सौ पिचहत्तर रुपये मात्र) , होते हैं, बदस्त क्रेता रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7,रामपुर 244901 (उ0प्र0) के पक्ष में वय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि आर0डी0ए0 को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता मजकूर से जरिये चैक वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से बजाये अपने क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूफी कर दिया। अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया है व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी ना रहा। विक्रेता विक्रीत भूमि के प्रतिफल के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिकर या लाभ का दावा किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।

Lal Singh

आवेदन सं०: 202500726013532

(सरकारी)

विक्रय पत्र

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 10139 वर्ष: 2025

प्रतिफल- 8622575 स्टाम्प शुल्क- 603610 बाजारी मूल्य - 8622575 पंजीकरण शुल्क - 86230 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 86290

श्री रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
जगदीश पाल सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री अतर सिंह
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

श्री. रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

जगदीश पाल सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 07/08/2025 एवं
05:59:31 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिमा शर्मा प्रभारी
उप निबंधक :सदर
रामपुर
07/08/2025

निबंधक लिपिक
07/08/2025

अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे और अगर विक्रीत आराजी वयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा ना मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा विक्रेता उसके वारिसानों तथा दीगर जायदाद चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवें, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सारे हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को अंतरित कर दिये हैं, अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजों में अपने नाम दर्ज करा लेवे। विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है, उक्त भूखण्ड का, जिसका आर0डी0ए0 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, और प्रश्नगत भूमि का स्वत्व विक्रेता में निहित है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अतः यह विक्रय विलेख (बैनामा) अपने होशो हवास स्वस्थ चित से बगैर किसी व्यक्ति के अनुचित दबाव से समक्ष साक्षियों के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकतानुसार भविष्य पर काम आवे। इस विक्रय पत्र के निष्पादन से मुझ विक्रेता की आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उसके द्वारा बताये गये तथ्यों व आश्वासन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता की है तथा पक्षकारों की पहचान उनके साक्षियों द्वारा की जा रही है।

क्रेता

Lal Singh

आवेदन सं०: 202500726013532

बही सं०: 1 | रजिस्ट्रेशन सं०: 10139 | वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री लाल सिंह. |LAL SINGH

पुत्र श्री उग्रसेन

निवासी: ग्राम पहाडी जिला रामपुर

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 937K

क्रेता: 1

श्री रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जगदीश पाल सिंह. |RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री अतर सिंह

निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 333H

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजीव गंगवार , पुत्र श्री बद्री प्रसाद

निवासी: ग्राम पहाडी जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री नौवत राम, पुत्र श्री भूकन लाल

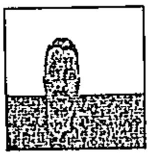

निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक : सदर

रामपुर

07/08/2025

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

निबंधक लिपिक रामपुर

07/08/2025

विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय की धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है, तो 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर से भू–राजस्व की भॉति रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर (आर0डी0ए0) को वसूलने का अधिकार होगा। साथ ही यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कोई देयता पायी जाती है, तो उसका समस्त उत्तदायित्व विकेता का होगा, जो उक्त देयता को ब्याज सहित देना होगा।

स्थान :– रामपुर।

दिनांक :–

<u>साक्षी नम्बर 1 –</u>

हस्ताक्षर – ....

नाम – श्री राजीव गंगवार

पदनाम – क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पहाडी, रामपुर।

पिता का नाम – श्री बद्री प्रसाद

<u>साक्षी नम्बर 2 –</u>

हस्ताक्षर – ....

नाम – श्री नौवत राम

पदनाम – संविदा कर्मचारी, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।

पिता का नाम – श्री भूकन लाल

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

Drafted and typed by
Rampur Devlopment Authority

आवेदन सं०: 202500726013532

बही संख्या 1 जिल्द संख्यां 11517 के पृष्ठ 189 से 202 तक क्रमांक 10139 पर दिनाँक 07/08/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक : सदर

रामपुर

07/08/2025